



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

दूरभाष-0135&2655620 2658204 फ़ैक्स-0135&2651061

वेबसाइट-www.nagarnigamdehradun.com

ई-मेल nagar_nigam2008@yahoo.com, nagarnigam ddn@gmail.com



अभिरुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I)

नगर निगम देहरादून द्वारा दीन दयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के तहत पटेल नगर लालपुल, देहरादून में निर्मित रैन बसेरा के रख-रखाव एवं संचालन हेतु, अल्पकालीन निविदा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I) आमंत्रित की जाती है। इस हेतु पंजीकृत गैर स्वयं सेवी सस्थाएं, स्वयं सहायता समूह (डे0एन0यू0एल0एम0), समूह के फेडरेशन (डे0एन0यू0एल0एम0) जो मिशन के अन्तर्गत पंजीकृत हों, से सील बन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त रैन बसेरा का संचालन मिशन के मानको एवं नगर निगम, देहरादून के निर्देशानुसार किया जाना है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव पर "रैन बसेरा के संचालन एवं रख-रखाव" अंकित कर दिनांक 16/01/2020 को सांय 5 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम स्वीकार किये जायेगे। प्रस्ताव डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेगे। विलम्ब से प्राप्त हुये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर निगम के वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com से प्राप्त की जा सकती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक संख्या - 1780/प्रौ.सं.दे.दे.न.न.ग.न.सं./2019-20

दिनांक - 01/01/2020

प्रतिलिपि :

1. मा0 महापौर महोदय, को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संपादक, दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान / द पॉइन्टर को अनुमन्य दरों पर देहरादून सिटी एडिशन में विज्ञापित प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
4. श्री - मनिष पंत को उक्त निविदा को नगर निगम की बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

रैन बसेरा के संचालन एवं रखरखाव हेतु टी0ओ0आर0

O&M Proposal Guideline For Shelter For Urban Homeless(SUH)

पिरेशन और आश्रयों के प्रबंधन:

न बसेरा के संचालन और प्रबंधन शहरी स्थानीय निकाय या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा की पहचान की वसी अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा सकते हैं को कि निम्न हो सकती है।

1. गैर सरकारी संगठनों और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और ट्रस्ट अधिनियमों या राज्य सरकारों के अन्य इसी तरह के कानूनों के तहत पंजीकृत सीएसओ द्वारा।
 2. स्वयं सहायता समूह (डोएन0यू0एल0एम0), समूह के फंडरेशन (डोएन0यू0एल0एम0)।
- न एजेंसियों को भी उन्नतमुखाकरण, प्रशिक्षण और रैन बसेरा कर्मचारियों की पहचान की सुविधा हो सकती

न बसेरे हेतु एक रैन बसेरा प्रबंधन कमेटी होगी जिसके सदस्य पार्षद, नगर निकाय के कर्मचारी, रैन बसेरे का क/कियरटेकर, रैन बसेरा में रहने वाले शहरी बेघरों द्वारा नामित व्यक्ति, पुलिस चौकी इन्चार्ज सम्वन्धित महिला हेल्प लाइन के पदाधिकारी सम्वन्धित क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि, नगर परियोजना प्रबंधक गरी नगर निकाय, द्वारा नामित सदस्य सदस्य सचिव होगा। उक्त समिति द्वारा रैन बसेरा की निगरानी -समय पर की जायेगी।

रैन बसेरा के दैनिक प्रबंधन, रखरखाव, शरण में साफ-सफाई और अनुशासन के लिए निम्न न्यूनतम तालिक कर्मचारी होंगे:

- एक पूर्णकालिक प्रबंधक।
- 3 Caregivers अर्थात एक 8 घंटे की एक शिफ्ट के लिए एक Caregiver।

स्टाफ यूएलवी द्वारा लगे या एजेंसियों /संस्थाओं रैन बसेरा के संचालन के लिए जिम्मेदार के माध्यम से sourced जा सकता है। महिलाओं के साथ आश्रयों के लिए, कम से कम एक महिला देखभालकर्ता दी जानी ए।

उपरोक्त पदों के लिए वेतन लागत, ओ0एंड0एम0 परियोजना की लागत में पामिल किया जा सकता है लेकिन अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो यूएलवी/राज्य सरकार अन्य स्रोतों से धन की व्यवस्था कर सकती

कन्द्र सरकार ने रैन बसेरे के पहले 5 साल की अवधि के लिए ओ0एंड0एम0 लागत का 75: या 90: प्रदान गा और 50 शहरी बेघरों के रैन बसेरा में खानपान व अन्य सुविधाओं के लिए 6,24,000/-छ.लाख चौबीस प्रतिवर्ष का प्रावधान है। निम्नलिखित व्यय आश्रयों के लिए ओ0एंड0एम0 लागत के तहत अनुमत कर रहे

क0सं0	व्यय	विवरण
1	वार्षिक रखरखाव लागत/आश्रय	विजली और अन्य विविध व्यय भी शामिल है
2	वार्षिक सर्विसिंग लागत	विस्तार और रसाई के उपकरण आदि के रखरखाव की लागत, रखरखाव, पुनः पूर्ति शामिल
3	नि.शुल्क भोजन उपलब्ध कराने की वार्षिक लागत	अधिकतम 10: बेघरों के लिए जो कि वृद्ध व अन्य, जो पैसा नहीं दे सकते है के लिए नि.शुल्क।
4	कर्मचारी वेतन	8 घंटे की शिफ्ट में 3 देखभाल करने वालों और 1 पूर्णकालिक प्रबंधक भी शामिल

कुल ओ0एड0एम0 अनुज्ञेय लागत अधिकतम-रु0 6,24,000 / -अनुमान्य है। शहरी बेघरों के लिए रैन बसेरा में भोजन एवं खानपान की सुविधा हो। उक्त धनराशि मिशन के तहत एवं नगर निगम, देहरादून द्वारा देय होगी।

ओ0एस0एम0 के लिए भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, तो राज्य/यूएलबी द्वारा यदि वहन किया जा सकता है या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है।

1.8 रैन बसेरा के संचालन और प्रबंधन के लिए धन किरतों में निर्माण/नवीनीकरण के अधिमानतः की यूएलबी पोस्ट पूरा करने के लिए जारी किया जाना चाहिए। ओ0एड0एम0 धनराशि किरतों में दी जायेगी ताकि आदेश सुचारु रैन बसेरा का संचालन और रखरखाव अच्छी तरह से जारी किया जा सके। ओ0एड0एम0 के लिए जारी धन के उपयोग के सत्यापन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं शहरी विकास निदेशालय के दिशा निर्देश दिया जा सकता है।

1.9 (1) निम्न रजिस्टर/अभिलेख प्रत्येक रैन बसेरे में होने चाहिए-

1. रैन बसेरा परिसंपत्ति सूची बुक ।
2. दिन व्यय व प्राप्तियों के लिए दिन की निगरानी के लिए रजिस्टर/कैश बुक लेखा ।
3. उपस्थिति रजिस्टर ।
4. रैन बसेरा प्रबंधन समिति की बैठक रजिस्टर ।
5. कार्मिक रजिस्टर वेतन भुगतान विवरण ।
6. हाउस कीपिंग एवं रखरखाव रजिस्टर के साथ ।
7. शिकायतें और सुझाव रजिस्टर ।

2. उपयोगकर्ता फीस

2.1 उपयोगकर्ता शुल्क : यदि कोई हो, रैन बसेरा के संचालन में निवासियों की भागीदारी में सुधार लाने के उद्देश्य से लगाया जाएगा और सामान्य कीमत दी जाएगी। निधि एकत्र कर रैन बसेरा में सुविधाओं के रखरखाव के लिए उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित मानदंडों और उपयोगकर्ता शुल्क के आवेदन के किसी भी लागू करने प्राधिकारी द्वारा तय करेंगे:

2.2 शहरी बेघरों की आय के 1/10 से 1/20 की दर पर शुल्क लिया जायेगा।

(क) जो व्यक्ति शुल्क नहीं दे सकते हैं, उन्हें शुल्क माफ कर दिया जायेगा।

(ख) रैन बसेरा में प्रदान किये जाने वाले को भोजन पूरी तरह से वृद्धों, कमजोर, विकलांग महिलाओं और पुरुषों और सभी बच्चों के लिए शुल्क सब्सिडी दी जानी चाहिए। अन्य रैन बसेरा निवासियों के लिए, भोजन रियायती दर पर में राज्य/यूएलबी द्वारा लिये गये निर्णय पर उपलब्ध रैन बसेरा कराई जायेगी।

(ग) सभी निवासियों को रोटेशन के आधार पर मेस की सुविधा, साफ-सफाई, आदि (प्रति व्यक्ति/सप्ताह जैसे आधे दिन सेवा) सहित रैन बसेरा के रखरखाव के लिए स्वैच्छिक सेवाओं की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन मानदंडों को आश्रय प्रबंधन समिति के साथ मिलकर रैन बसेरा प्रबंधक द्वारा विकसित किया जाना है।

रैन बसेरा के संचालन एवं रख रखाव हेतु शर्तें

1. संस्था/एजेंसी एवं स्वयं सहायता समूह डे0एन0यू0एल0एम0 तथा मिशन के अन्तर्गत क्षेत्र स्तरीय संघ पंजीकृत ।
2. पंजीकृत संस्था/स्वयं सहायता समूह को रैन बसेरा के संचालन में उनके द्वारा किये गये कार्यों के अनुरूप होना आवश्यक है ।
3. संस्था/एजेंसी एवं स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) का कार्य क्षेत्र उत्तराखण्ड में होना आवश्यक है ।
4. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा रैन बसेरा के संचालन एवं रखरखाव में मूल-भूत सुविधायें /संसाधन होना अति आवश्यक है ।
5. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा रैन बसेरा में ठहरने वाले लोगों हेतु नाम मात्र किराये के रूप में शहरी निराश्रितों से उनकी आय अनुसार आय का 1/10 या 1/20 भाग एकत्रित किया जाये उपरोक्त धनराशि रैन बसेरा के सुविधाओं के अनुरक्षण में खर्च किया जायेगा ।
6. जो लोग उक्त धनराशि/शुल्क जमा करने में सक्षम नहीं है । उन्हें पूर्णता: छूट प्रदान की जायेगी । संस्था/एजेंसी द्वारा रैन बसेरा में भारत सरकार के दिशानिर्देशनुसार मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध की जायेगी ।
7. रैन बसेरा में संस्था/एजेंसी तथा स्वयं सहायता समूह एवं मिशन के अन्तर्गत क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा शीतकाल में अलाव की व्यवस्था की जायेगी । अलाव की व्यवस्था नगर निकाय द्वारा की जायेगी ।
8. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा रैन बसेरा में रहने वाले निराश्रितों की पूरी सुरक्षा दी जायेगी ।
9. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से प्रयास किये जायेंगे । तथा प्रचार एवं प्रसार भी किये जायेंगे ताकि शहरी गरीब निराश्रित रैन बसेरा की ओर आ सकें ।
10. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायलय एवं योजना के मार्ग निर्देश के अनुसार संचालन एवं रख रखाव करना होगा ।
11. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा रैन बसेरा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों हेतु कपड़ा बैंक की व्यवस्था भी की जायेगी ।
12. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) के द्वारा फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, अस्पताल, मंदिर, आश्रम एवं बहार रह रहे लोगों को रैन बसेरा में ले जाने हेतु प्रेरित/जागरूक किया जायेगा ।
13. आश्रय प्रबन्धक समिति दैनिक प्रबन्ध,अनुरक्षण साफ-साफई सुरक्षा एवं अनुशासन आदि की व्यवस्था किया जायेगा ।
14. संस्था/एजेंसी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा महिला एवं पुरुषों कि अलग-अलग व्यवस्था की जायेगी तथा सुरक्षा की दृष्टिकोण से महिला वार्ड का प्रवेश द्वार अलग से किया जायेगा ।
15. गरीबों एवं निराश्रितों की भोजन की उपलब्धता हेतु सामुदायिक किचन का संचालन किया जायेगा भोजन की दरें या निःशुल्क आश्रय प्रबन्धन समिति (सेल्टर मैनेजमेंट कमेटी) द्वारा किया जायेगा ।
16. रैन बसेरा के संचालन में लाभार्थियों के स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा/प्रोत्साहन दिया जायेगा । जिसमें उनमें स्वामित्व की भावना की जगाया जा सके ।

17. आश्रय में शहरी समाज के निर्धन वर्ग की मूल-भूत सुविधाओं/सेवाओं युक्त आश्रय उपलब्ध करना है। ये आश्रय, शहरी निराश्रितों के लिए स्थायी तौर पर हर मौसम के चौबीसों घण्टे उपलब्ध होंगे।
18. रैन बरोरा के रख-रखाव एवं संचालन हेतु सम्बन्धित संस्था/एजेन्सी स्वयं सहायता समूह डे0एन0यू0एल0एम0 एवं मिशन के अन्तर्गत क्षेत्र स्तरीय सघ द्वारा प्रस्ताव नगर निगम कार्यालय में जमा किया जायेगा, उक्तानुसार 5% सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 "वरिष्ठ वित्त अधिकारी" नगर निगम देहरादून के नाम से देय होगी।
19. यदि संस्था/एजेन्सी द्वारा रैन बरोरा का संचालन एवं रख-रखाव अनुबन्ध की अवधि के मध्य वर्णित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके द्वारा वक्क CDR/FDR को उक्त रैन बरोरा में संचालन एवं रख-रखाव में समाशोधित किया जायेगा तथा नगर आयुक्त महोदय में आदेशानुसार उचित दण्ड वसूला जायेगा।
20. चयनित संस्था/एजेन्सी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघ (डे0एन0यू0एल0एम0) को भुगतान मिशन के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि से किया जायेगा, जब तक मिशन के अन्तर्गत शहरी विकास निदेशालय से धनराशि प्राप्त होगी तो मिशन के तहत संस्था/एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा। उसके उपरान्त रैन बरोरा के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून द्वारा ही भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। मिशन के तहत प्राप्त धनराशि का भुगतान तीन किरतों में किया जायेगा। प्रथम भुगतान-30 प्रतिशत, द्वितीय भुगतान- 50 प्रतिशत एवं तृतीय भुगतान-20 प्रतिशत किया जायेगा। उक्त भुगतान साल में तीन बार किया जायेगा।
21. संस्था/एजेन्सी पंजीकृत एवं रैन बरोरा के संचालन एवं शहरी वेधरों पर कार्य करने में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। संस्था/एजेन्सी का कार्यालय एवं कार्य क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड होना चाहिए।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट)

22. नगर निगम देहरादून द्वारा दीन दयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के तहत पटेल नगर, देहरादून में निर्मित रैन बरोरा के रख-रखाव एवं संचालन हेतु, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (I.O.I) आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे।
23. अभिरुचि की अभिव्यक्ति दरतावेज लिफाफे के उपर " रैन बरोरा के संचालन एवं रख-रखाव " लिखकर रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय, नगर निगम देहरादून, पिन कोड - 248001(उत्तराखण्ड) को भेजें।
24. प्रस्ताव डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि 16.01.2020 सांय 5.00 बजे तक है।
25. डाक व्यवस्था से विलम्ब हुये प्रस्ताव हेतु नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
26. किसी भी प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार/अस्वीकार बिना कारण बताये कर सकता है।
27. उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के तहत उक्त रैन बरोरों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु पंजीकृत गैर स्वयं सेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, डे0एन0यू0एल0एम0 एवं मिशन के तहत क्षेत्र स्तरीय सघ से सील बन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।
28. उक्त रैन बरोरों का संचालन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना के मानकों के अनुरूप किया जाना है।



29. रैन बसेरा के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रस्ताव एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है। जिसमें वर्षवार व्यय के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।
30. निविदादाताओं की लघुसूची तैयार की जायेगी। लघु सूची के अनुसार प्रस्ताव हेतु अनुरोध तथा वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्राप्त प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा की जायेगी।
31. संस्था/एजेन्सी स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं (डे0एन0यू0एल0एम0) द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव में अंकित धनराशि का पॉच प्रतिशत की धनराशि का सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 निविदा प्रतिभूति "वरिष्ठ वित्त अधिकारी" नगर निगम देहरादून के नाम से देय होगी।

मूल्यांकन के मानदंड

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट) में प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना है:-

क्रमांक	पात्रता मानक	अंक
1.	संस्था / एजेन्सी की वैधानिक स्थिति/ पंजीकृत कार्यालय। स्वयं सहायता समूह एवं क्षेत्र स्तरीय सघं जिनका भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो।	20
2.	तकनीकी क्षमता - रैन बसेरा के संचालन एवं अनुरक्षण का तथा शहरी बेधरो पर कार्यानुभव में कम से कम एक वर्ष - 20 एक साल से उपर पॉच तक का अनुभव - 10 अतिरिक्त अंक। स्वयं सहायता समूह एवं क्षेत्र स्तरीय सघं जिनका भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। उनके लिए कार्यानुभव की आवश्यकता नहीं है। एम0आई0एस0 पोर्टल पर वार्षिक के अनुसार से अंक दिये जायेगे।	30
3.	संचालन एवं रखरखाव हेतु रणनीति शहरी बेधरो हेतु किये गये अभिनव प्रयास	05 05
4.	अभिनव पहल (कपडा बैंक, सामाजिक सुरक्षा)	10
5.	तीन साल की आडिट रिपोर्ट स्वयं सेवी संस्थाओं/एजेन्सी - 10 (तीन साल से उपर 5 अंक अतिरिक्त) स्वयं सहायता समूह एवं क्षेत्र स्तरीय सघं को वार्षिक बैंक पास बुक के आधार पर अंक दिये जायेगे।	15
6.	वित्तीय क्षमता स्वयं सेवी संस्थाओं/एजेन्सी (2लाख से 5 लाख प्रति वर्ष) स्वयं सहायता समूह एवं क्षेत्र स्तरीय सघं को उनके द्वारा किये गये कार्यों के अनुसार अंक प्रदान किये जायेगें।	15



नोट- संस्था/ एजेंसी एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों/सुपारान्तक तथा विद्यार्थी के अभाव में
 राष्ट्रीय स्तर को रोक-बंदी के अभाव में एवं स्वयं-सहायता समूह सुपारान्तक से अधिकतम तक अधिकतम
 होवे, अथवा पठित समिति द्वारा निर्देश किया जावेगा।

(नोट - हीन प्रयास जनसंघीय योजना - राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास के अभाव में राष्ट्रीय
 विकास के हेतु आर्थिक योजना अभाव में एवं राष्ट्रीय स्तर के अभाव में अथवा अभाव के विकास के हेतु
 एवं विकास के अभाव में अथवा अभाव के हेतु अथवा अभाव के हेतु)

2